फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **भंवरलाल**
किस्म मुकदमा :– 53 आरटीएक्ट

विपक्षी :– **नारू**
पत्रावली संख्या :– 07 / **25 वाद**
जीसीएमएस नम्बर :– **2025 / 15**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 26.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण स्वयं द्वारा बताया गया की वादीगण द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि का विक्रय किया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि में अब वादीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रकरण में स्वयं अधिवक्ता वादीगण स्वीकार कर रहे है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने नाम दर्ज हिस्से को विक्रय कर दिया है। ऐसे में वादीगण का प्रतिवादीगण के विरूद्ध वर्तमान कोई बिनाय शेष नही रहती है। भूमि का विक्रय किये जाने से वादीगण वादग्रस्त भूमि खातेदार भी नही रहे है। ऐसे में वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। अन्य सहखातेदार वादग्रस्त भूमि का यदि बंटवाड़ा करवाना चाहते है तो वे अपना वाद पृथक से लाने के लिए स्वतंत्र है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद इसी स्तर पर ड्रोप किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:04 IST
Reason: SelfAttested